न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 12/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
डालूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी		1. किशनाराम पुत्र भैराराम 2. हरचंदराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया वकील विप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.08.2025

संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 616/5 रकबा 1.4481 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का खसरा संख्या 782/616, 781/616 रकबा 5.6680, 0.1164 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7844 हैक्टयेर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी में आयी हुई है प्रार्थी ने मूल खातेदार हरचंद पुत्र धमण्डाराम, किशनाराम पुत्र भैराराम से दिनांक 05.11.2009 को दस्तावेज संख्या 1 जिल्द संख्या 57–58 पुस्तक [illegible]57/2009 अतिरिक्त 1 से 89 पृष्ठ संख्या 131–133 जो मूल खसरा संख्या 616/[illegible] 44–14 बीघा मेंसे 08–19 बीघा जिसका नामान्तरण तरमीम से नवीन खसरा 616/5 सृजित हुआ तथा [illegible] नवीन सृजित खसरा कीलटड़ा देस में नामान्तरण [illegible] 509/20.11.2009 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है जो लट्ठाट्रेस में नामान्तरण परत अनुसार न कर ऑनलाईन सेगरीकेशन में गलत तरमीम कर दी गई थी। कि मूल खसरा में से नवसृजित खसरा नम्बर 616/5 भूमि जो प्रार्थी के वर्तमान खेत खसरा संख्या 616/5 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जा अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 782/616 में प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कर दी गई है एवं प्रार्थीगण की तरमीम विप्रार्थी संख्या 1 व 2 कब्जा की भूमि में कर दी है, जबकि तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार होनी थी जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 616/5 रकबा 1.4481 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 782/616 रकबा 5.6680 हैक्टेयर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की लट्ठा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते एकतरफा कार्यवाही मनसुख करने का पेश किया। तथा विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज. पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 616/5 रकबा 1.4481 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का खसरा संख्या 782/616, 781/616 रकबा 5.6680, 0.1164 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7844 हैक्टयेर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी में आयी हुई है प्रार्थी ने मूल खातेदार हरचंद पुत्र धमण्डाराम, किशनाराम पूत्र भेराराम से दिनांक 05.11.2009 को दस्तावेज संख्या 1 जिल्द संख्या 57–58 पुस्तक संख्या 1857/2009 अतिरिक्त 1 से 89 पृष्ठ संख्या 131–133 जो मूल खसरा संख्या 616/2 रकबा 44–14 बीघा मेंसे 08–19 बीघा जिसका नामान्तरण तरमीन से नवीन खसरा 616/5 नवसृजित हुआ तथा प्रार्थी के नवीन सृजित खसरा कीलटड़ा देस में नामान्तरण संख्या [illegible]9/20.11.2009 का स्वीकृत किया गया है जो लट्ठाट्रेस में नामान्तरण परत अनुसार न कर ऑनलाईन सेगरीकेशन में गलत तरमीम कर दी गई थी। कि मूल खसरा में से नवसृजित खसरा नम्बर 616/5 भूमि जो प्रार्थी के वर्तमान खेत खसरा संख्या 616/5 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

के कब्जा अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 782/616 में प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांके, चारवाड़े आदि बने हुऐ है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कर दी गई है एवं प्रार्थीगण की तरमीम विप्रार्थी संख्या 1 व 2 कब्जा की भूमि में कर दी है, जबकि तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार होनी थी जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 616/5 रकबा 1.4481 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 782/616 रकबा 5.6680 हैक्टेयर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की लट्ठा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो गलत होने से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 1 ने अपनी ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर अपनी बहस के समर्थन में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के तथ्यों के क्रम में गलत हुई तरमीम के दुरूस्तीकरण के संबंध में सलंग्न प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" के आधार पर ही चाही गई इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट में परस्पर एकरूपता होने से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है तथा वास्तविकता अनुसार पक्षकारान के कब्जा काश्त एवं रेकर्ड तथा लट्ठा ट्रेस में आ रही भिन्नता समाप्त हो जायेगी।

विप्रार्थी सं. 3 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 616/5 रकबा 1.4481 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का खसरा संख्या 782/616, 781/616 रकबा 5.6680, 0.1164 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7844 हैक्टयेर भूमि ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायलाकला तह[illegible]धरी में आयी हुई है प्रार्थी ने मूल खातेदार हरचंद पुत्र धमण्डाराम, किशनाराम पुत्र [illegible] से दिनांक 05.11.2009 को दस्तावेज संख्या 1 जिल्द संख्या [illegible] 1857/2009 अतिरिक्त 1 से 89 पृष्ठ संख्या 131—133 जो मूल खसरा संख्या 616/[illegible] रकबा 44—14 बीघा मेंसे 08—19 बीघा जिसका नामान्तरण तरमीन से नवीन खसरा 616/5 सृजित हुआ तथा प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

नवीन सृजित खसरा कीलटड़ा देस में नामान्तरण संख्या 509/20.11.2009 का स्वीकृत किया गया है जो लट्ठाट्रेस में नामान्तरण परत अनुसार न कर ऑनलाईन सेगरीकेशन में गलत तरमीम कर दी गई थी।

प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के तथ्यों के कम में गलत हुई तरमीम के दुरूस्तीकरण के संबंध में सलंग्न प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" के आधार चाही गई इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अद्यतन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम के अनुसार दुरस्तीकरण किये जाने हेतु तहसीलदार सिणधरी ने उल्लेख किया है, जहां तक प्रार्थी वकील की दलील है कि मौका रिपोर्ट पुनः तलब की जावे, इस संबंध में ऐसा कोई कारण अथवा ठोस वजह जाहिर नहीं की गई है कि उनके द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट व तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त नजरी नक्शा में कोई विविधता उत्पन्न होती हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी की इस्तदुआ की पूर्ति के साथ ही विप्रार्थी सं. 1 की दलील एवं तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पायला कला पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 616/5 व खसरा संख्या 782/616 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1553 दिनांक 16.07.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner